


अतः पत्रावली...
नं०... 18/12/24...को पेश हो/

18/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित नहीं।
न्यायालय का समय पूर्ण होने तक बार-बार आवाज लगाई
गई। बार-बार आवाज लगाने के बाद भी वकील वादी/प्रार्थी
उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर अदम हाजरी
अदम पैरवी में खरिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो व दाखील दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी